न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 213/2022

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1.रोहितांश पुत्र पाला राम जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा।	1. रामस्वरूप पुत्र गणेशा राम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 2. कालू उर्फ रणवीर पुत्र गणेशा राम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 3. जयमल पुत्र गणेशा राम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 4. कलावती पत्नी गणेशा राम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 5. बाधू देवी पुत्री गणेशा राम पत्नी लक्ष्मी नारायण जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 6. रेशमा उर्फ गुड्डी पुत्री गणेशा राम पत्नी बलराम जाति जाट निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ। 6/1 राजवीर पुत्र बलराम सहारण निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ। 6/2 विजय पुत्र बलराम सहारण जाति जाट निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ। 6/3 सुनीता पुत्री बलराम सहारण जाति जाट निवासी ढाबा झल्लार तहसील सूरतगढ। 7. विद्या सागर पुत्र राम कुमार जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 8. शारदा पत्नी राम कुमार जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 9. सुमित कुमार पुत्र राम कुमार जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 10. सुरेश पुत्र गणेशा राम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 11. हंसराज पुत्र गणपत राम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 28.11.2022

उपस्थितः 1.श्री कुलदीप बाना, सुभाष गरूडा अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- **[illegible]3.08.2023**

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है [illegible] मोटासरखूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबन्दी सम्वत 20[illegible]2078 के खाता [illegible] 68/67 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 10, 26, 27, 48/8 की कुल 8.[illegible] के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी के [illegible] 1.012 [illegible] दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी को चक 1 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 के मु0नं0 1 के किला नं0 2 के 0.253 है0, किला नं0 9 के 0.253 है0 एवं किला नं0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

12 के 0.253 है0, किला नं0 19 के 0.253 है0 कुल 1.012 है0 भूमि वाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई है, जिस पर वादी आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। वादी वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना चाहता है, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, चूंकि मुश्तर्का खाता की भूमि में पानी की बारी, रास्ता, मुआवजा आदि को लेकर परेशानिया बनी रहती है, जिनके निवारण के लिए वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है, जिसका वह अधिकारी है। दावा दायरी से दो रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत् विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया, इसलिए वादी को मजबूरन श्रीमान् जी के न्यायालय में दावा दायर करना पड रहा है, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावेः-कि चक 1 एफ एफ ए, पटवार हल्का मोटासरखूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 10, 26, 27, 48/8 की कुल 8.478 हैक्टेयर भूमि में से मु0नं0 1 के किला नं0 2 के 0.253 है0, किला नं0 9 के 0.253 है0 एवं किला नं0 12 के 0.253 है0, किला नं0 19 के 0.227 है0 कुल 0.253 है0 भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7 ता 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान को प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/3 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/3 को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6/1 ता 6/3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायमी नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 1 एफ एफ ए, पटवार हल्का मोटासरखूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 10, 26, 27, 48/8 की कुल 8.478 हैक्टेयर भूमि में से वादी रोहितांश पुत्र पालाराम के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को पाबन्द किया कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 1... 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित ... की शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

रोहितांश बनाम रामस्वरूप आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आरटीए
प्रकरण संख्या 213/2022

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 1 एफ एफ ए, पटवार हल्का मोटासरखूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 10, 26, 27, 48/8 की कुल 8.478 हैक्टेयर भूमि में से वादी रोहितांश पुत्र पालाराम के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रोहितांश पुत्र पाला राम जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।	1 एफ एफ ए	01	2 9 12 19	0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	1.80 1.80 1.80 1.80

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीवद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

रोहितांश बनाम रामस्वरूप आदि
धारा अन्तर्गत **53 आरटीए** मुकदमा नं. **213/2022**
निर्णय दिनांक :- 03.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री कुलदीप बाना** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 1 एफ एफ ए, पटवार हल्का मोटासरखूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/67 के मुरब्बा नम्बर 1, 5, 10, 26, 27, 48/8 की कुल 8.478 हैक्टेयर भूमि में से वादी रोहितांश पुत्र पालाराम के नाम 1.012 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रोहितांश पुत्र पाला राम जाति जाट निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।	1 एफ एफ ए	01	2	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	200	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	204	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 07.08.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक: रीडर/ 2023/434
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर